

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र बनवारी लाल जाति सुनार निवासी रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 10 / 2022

दिनांक 27.01.2022

27.01.2022 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस अक्षय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2078 में मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 525 कुल रकबा 0.2280 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 0.0050 है0 सरकारी भूमि पर श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र बनवारी लाल जाति सुनार ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी में गड़ढा बना हुआ था जिसमें पानी भरता था, जिसमें मिट्टी भराव करवाया है जो धारा 91 की श्रेणी में नहीं आता है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 525 कुल रकबा 0.2280 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 0.0050 है0 सरकारी भूमि पर से श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र बनवारी लाल जाति सुनार को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.93 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 47/-रुपये (अक्षरे रू सैंतालीस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाष चंद्र)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी